ऑन लाईन नं.RCMS2022/295

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 37/2022

श्री.विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री हंसराज गुप्ता निवासी 5ए पूजा कॉलोनी, गली नम्बर 02, श्रीगंगानगर। —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
   मै0 रवि एण्ड कम्पनी, नोहरा नम्बर 109, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर।
2. श्री मनोज कुमार शर्मा, —मालिक—
   मैसर्सः— शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, मोहन नगर, किलीअनवाली रोड़, अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(2)/52

निर्णय दिनांक : **06.01.2023**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश कमांकःएच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर में पदस्थापित है। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2012 के गजट में भग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.06.2022 को दोपहर बाद 5.30 पी.एम. पर **मै0** रवि एण्ड कम्पनी, नोहरा नम्बर 109, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर पर पहुचें। वहा रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री हंसराज गुप्ता निवासी 5ए पूजा कॉलोनी, गली नम्बर 02, श्रीगंगानगर उपस्थित मिला जिसने खुद को खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसैंस, जीएसटी रजि., तथा आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन न.RCMS2022/295

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता के विक्रय हेतु उपलब्ध **Mustard oil (Kessujis)** के 4 कार्टुन (प्रत्येक कार्टुन मे 440 ग्राम की 24 बोतल) रखे है के अमानक का शक होने पर 440 ग्राम 4 पैक्ड बोतल **Mustard oil (Kessujis)** खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक श्री रवि गुप्ता को सूचित करते हुए वास्ते नमूने जाच खरीदा, जिसकी कीमत श्री रवि गुप्ता को 280/ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एव तस्दीक कर स्वय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल सलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 05 ए प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री हसराज गुप्ता, एवं गवाहन ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता श्री रवि गुप्ता को देकर असल रसीद प्राप्त की । फार्म नम्बर 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Mustard oil (Kessujis) 440** ग्राम की 4 बोतलो पर लेबल चिपकाये एवं उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुकमांक **K-1514** एव अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विकेता एव गवाहो के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूनाभाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुकमाक **K-1514** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहो के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं विशाल मित्तल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता रवि गुप्ता ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एव शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/723/एक्ट/2022/723 दिनांक 23.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1514 Mustard oil (Kessujis) अमानक स्तर** Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री हसराज गुप्ता निवासी 5ए पूजा कॉलोनी, गली

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन न RCMS2022/295

नम्बर 02 श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard oil (Kessujis)** का विक्रय किया जाने को खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2) / 52 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01 12 2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब मे कथन किया है कि प्रार्थी वक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान किलयावाली रोड मोहननगर अबोहर फाजिल्का पंजाब का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान मे की जांच की गई तो **Mustard oil (Kessujis)** Misbranded Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त **Mustard oil (Kessujis)** मे सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनो पक्षो को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard oil (Kessujis)** का सैम्पल **के-1514** जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस / 723 / एक्ट / 2022 / 723 दिनांक 23 06 2022 द्वारा Misbranded Food होना पाया गया है। अत: अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(2) / 52 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 मे निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब मे वर्णित तथ्यो को ही बहस मे दोहराते हुए कहा है कि प्रार्थी वक 3 ई छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी **मै0** शर्मा ट्रेडिंग कम्पनी दुकान किलयावाली रोड मोहननगर अबोहर, फाजिल्का पंजाब का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आपकी दुकान मे की जांच की गई तो **Mustard oil (Kessujis)** Misbranded Food पाया गया है, प्रार्थी ने उक्त **Mustard oil (Kessujis)** मे सुधार कर लिया है भविष्य मे प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Mustard oil (Kessujis)**"**Code No and Sr. No. K-1514 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(1)के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Mustard oil (Kessujis)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे **Mustard oil (Kessujis)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर